

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 8/2023 (निगरानी पंचायत)

GCMS No : 2023/12

अनवान

1. पंचायत समिति सलूम्वर, जरिये विकास अधिकारी, पंचायत समिति सलूम्वर जिला उदयपुर (राज.)

– निगरानीकर्ता

बनाम

1. श्री रमेश कुमार पिता धुलजी पटेल ग्राम करावली पंचायत समिति सलूम्वर।
2. ग्राम पंचायत करावली जरिये सरपंच पंचायत समिति सलूम्वर, उदयपुर।

– विपक्षीगण

उपस्थित

1. श्री कल्पित जैन, अधिवक्ता निगरानीकर्ता।
2. श्री भगतसिंह शक्तावत अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1

निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996
विरुद्ध आदेश ग्राम पंचायत करावली के पट्टा संख्या 188 आदेश दिनांक 12.11.21

* निर्णय *

दिनांक– 27-07-2023

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत करावली पंचायत समिति सलूम्वर द्वारा दिनांक 21.11.2021 को राजस्व ग्राम करावली में विपक्षी संख्या 1 को आबादी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत करावली विपक्षी सं. 2 द्वारा अपने संकल्प संख्या 1 दिनांक 12.11.2021 के अनुसरण में मिसल संख्या 86 बुक संख्या 4, पट्टा संख्या 188 को जारी किया गया। ग्राम पंचायत करावली के द्वारा जारी उक्त पट्टा विलेख विधि के अग्रेषण में धारण योग्य नहीं है, जिसके विरुद्ध यह निगरानी पेश की गई जिसके निम्न आधार है – विपक्षी सं. 2 द्वारा पट्टा जारी किया जाने का आदेश विधि के अग्रेषण में नहीं है तथा सुस्थापित प्रक्रिया के विरुद्ध होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। विपक्षी क्रमांक 2 द्वारा विपक्षी स. 1 के पक्ष में निष्पादित आबादी भूमि का पट्टा में जिस भूमि के संबन्ध में जारी किया गया है उक्त भूमि का आराजी नम्बर उक्त पट्टे में अंकित नहीं किया गया है, न ही भूखण्ड का क्रमांक ही अंकित किया गया है। जिस आबादी भूमि का पट्टा निष्पादित किया गया उक्त भूमि का पट्टा पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 के नियम 140 से 156 की पालना पूर्ण नहीं होने के कारण विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी आबादी भूमि का पट्टा नियम विरुद्ध है। पट्टा संख्या 188 के



सम्बन्ध में रिकार्ड ही पंचायत में उपलब्ध नहीं है व मूल प्रतियां गायब हैं तथा इन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं जिससे स्पष्ट है कि इनकी मिसल उपलब्ध नहीं है जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत करावली के ग्राम विकास अधिकारी के पत्र क्रमांक ग्रापक/22-23/236 दिनांक 20.7.2022 से होती है। उक्त पट्टे काल्पनिक एवं बिना किसी आधार के जारी होना तथा विधिक बल रहित दस्तावेज स्वयंमेव ही निरस्त किये जाने योग्य है। तथाकथित दिनांक को ग्राम विकास अधिकारी तत्समय भारसाधक अधिकारी थे, के द्वारा दिनांक 12.11.2021 को उक्त पट्टे जारी किये जाने की पुष्टि की गयी है तथा इन पट्टों पर न तो क्रेता न ही अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जबकि किसी भगवतीलाल मीणा की लिखावट इन पट्टों पर होना प्रतीत होती है। जबकि नियमानुसार उक्त पट्टे नियम 157(ख) के अन्तर्गत जारी किये जाने चाहिए थे जबकि नियम विरुद्ध नियम 157(क) के अनुसार जारी किये गये हैं एवं उक्त पट्टे फर्जी होकर कोई विधिक बल नहीं रखते हैं एवं खारिज किये जाने योग्य हैं। पट्टा संख्या 188 की कोई रसीद अभिलेख में नहीं है, न ही केश बुक में इन्द्राज है। इस प्रकार यह सुस्पष्ट है कि उक्त पट्टे पदाधिकारी की सील तथा स्टेशनरी दुरुपयोग कर कूटरचित किये गये हैं तथा उक्त पट्टे निरस्त किये जाने योग्य हैं। जिस कालखण्ड में पट्टे का पंजीयन कराया गया है उस समय ग्राम विकास अधिकारी अवकाश पर थे एवं उनका अतिरिक्त प्रभार किसी अन्य व्यक्ति के पास भी नहीं था तथा विपक्षी संख्या 1 के द्वारा की गयी कूटरचना प्रकरण संख्या 78/2022 पुलिस थाना गींगला में किये गये अनुसंधान से पुष्ट है तथा दाण्डिक अनुसंधान में उक्त पट्टे कूटरचित किया जाना पुष्ट है तथा विधि की यह सर्वमान्य स्थिति है कि कोई भी दस्तावेज यदि दाण्डिक अभियोजन में कूटरचित पाया जाता है तो वह आरंभ से ही शून्य होता है तथा उसमें कोई विधिक बल नहीं होता है। यद्यपि पुलिस अधिकारी इस संबन्ध में कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र है तथा इसके संबन्धी आडमान पुलिस अधिकारी पंजीयन कार्यालय में करवा सकते हैं किन्तु आप न्यायालय विधि द्वारा इस हेतु सशक्त तथा समुचित आदेश के माध्यम से पट्टे निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कराया जाना आवश्यक है। इस संबन्ध में जब पट्टों की जांच हेतु गठित कमेटी द्वारा जांच की गई तो यह स्पष्ट हुआ है कि विपक्षी संख्या 1 द्वारा भूखण्ड का पट्टा कूटरचित तरीके से जारी कराया गया है जबकि विपक्षी संख्या 1 के पास पहले से स्वयं का कब्जेशुदा मकान है तथा इस भूखण्ड का पट्टा जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं है एवं उक्त पट्टा खारिज किये जाने योग्य है। वाद हेतुक विपक्षी क्रमांक 2 ग्राम पंचायत करावली द्वारा जारी किये गये पट्टे के सम्बन्ध में कार्यालय जिला परिषद् उदयपुर द्वारा जांच कराई जाने पर एवं इस बाबत कार्यालय पंचायत समिति सलूमबर से उक्त भूखण्ड बाबत रिकार्ड की जांच में उक्त तथ्य प्रकट में आने के कारण दिनांक 3.8.2022 को उत्पन्न हुआ तथा इस बाबत जिला परिषद् उदयपुर द्वारा प्रार्थी पंचायत समिति सलूमबर को पत्र प्रेषित कर उक्त भूखण्ड का पट्टा निरस्त

कराये जाने बाबत् निगरानी याचिका प्रस्तुत करने हेतु उच्चाधिकारी द्वारा निर्देशित करने पर प्रार्थी द्वारा राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त निगरानी अन्दर अवधि प्रस्तुत है। जिसके नाम पट्टा जारी किया गया है वह पट्टा जारीकरण के पात्र नहीं है। जिस समय पट्टा जारी किया गया उस समय वादग्रस्त भूमि राजस्व अभिलेख में विपक्षी के नाम दर्ज नहीं थी एवं ऐसे में इस पत्रावली के तहत पट्टा जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं है एवं आलोच्य पट्टा खारिज करवाया जाना आवश्यक है। अतः आप श्रीमान से निवेदन है कि निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 विरुद्ध ग्राम पंचायत करावली द्वारा जारीशुदा पट्टा संख्या 188 दिनांकित 12.11.2021 के निरस्तीकरण स्वीकार फरमायी जाकर विपक्षी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा निरस्त फरमाया जावे एवं इस विधिक बल रहित पट्टे के अग्रेषण में की गयी समस्त कार्यवाहियां अवैध, अकृत व शून्य होने का आदेश प्रदान कराया जावे, अन्य कोई अनुतोष जो कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक एवं उचित हो निगरानीकर्ता के पक्ष में प्रदान कराया जावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण/रेस्पोजेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष रखने हेतु अवसर दिया गया। विपक्षी संख्या 2 मय अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त पट्टा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जारी किया गया। पट्टे पर आराजी नम्बर 1221/1 अंकित है। जो गांव करावली के मुख्य बस स्टेण्ड पर स्थित है। जिसके साबिक आराजी नम्बर 927 है जो पूर्व में विपक्षी संख्या 1 रमेश के पैतृक खानदान के राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी एवं 30-40 वर्ष पूर्व इस आराजीयात में से करावली लोदा रोड निकला था जो आराजी नम्बर 927 के ठीक बीचोबीच निकाला गया था जिससे इस आराजी के दो भाग सडक के दोनो ओर हो गये तथा बाद में यह भूमि गांव की आबादी में दर्ज हो गई। जिसके आराजी नम्बर 1221 बने तथा जिस मकान का पट्टा विपक्षी संख्या 1 रमेश को जारी किया गया है। वह भूमि विपक्षी की पुश्तैनी भूमि है जिस पर विपक्षी संख्या 1 का परिवार 50 वर्षों से भी अधिक समय से रिकार्ड अनुसार काबिज है एवं विपक्षी संख्या 1 को इसका पट्टा जारी कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त था। यदि माननीय न्यायालय इस सन्दर्भ में राजस्व अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कराना चाहे तो वह भी न्यायहित में अति आवश्यक है। सम्पूर्ण नियमों का पालन करते हुए ग्राम पंचायत द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पट्टा जारी किया गया एवं बाद में उसका विधिवत पंजीयन अधिकारी के समक्ष पंजीयन हुआ है जिससे इसको निरस्त करने का कोई आधार नहीं है।

यह कि समस्त प्रकार के अंकन आवासीय भूमि के पट्टे पर अंकित किये गये है। कोई भी स्थान रिक्त नहीं छोड़ा गया है तथा सभी अधिकारियों के सभी स्थानों पर हस्ताक्षर

है तथा जिस भूमि का पट्टा दिया गया है वह भी रेकार्ड अनुसार विपक्षी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। प्रकरण संख्या 78/2022 का इस क्रम संख्या में जो दाखला दिया गया है वह प्रकरण विपक्षी संख्या 1 की पैतृक भूमि से परे 200 मीटर की दुरी पर अन्य जगह पर स्थित है, जिस जगह का पट्टा विपक्षी संख्या 1 को जारी किया गया है उसका प्रकरण संख्या 78/2022 का विपक्षी संख्या 1 की भूमि से कोई लेना देना नहीं है वह भूमि अन्यत्र है और वह विवादित प्रकरण भी अन्य लोगो के मध्य है। इस पट्टे से उस प्रकरण का कोई लेना देना नहीं है। ललित कुमार पन्नालाल जैन द्वारा पूर्व में भी एक रिपोर्ट दी गई थी जिस पर पटवारी हल्का व आर.आई. द्वारा रिपोर्ट तैयार कर राजस्व वाद के प्रकरण में तहसीलदार साहब सलूमबर द्वारा तैयार की गई थी जिसमें स्पष्ट रूप से ललित कुमार का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं बताया न ही वादग्रस्त भूमि पर ललित का कब्जा बताया है और उसे अपना प्रकरण स्वयं को सिद्ध करने के लिये कहा गया है, ऐसी स्थिति में पूर्व में ही सारा सिद्धिभार ललित कुमार पर डाला गया है। जो विपक्षी संख्या 1 की पैतृक भूमि है। पट्टा जारी करने की पूर्ण प्रक्रिया का पालना किया गया है। आराजी नम्बर 1221/1 पर विपक्षी का मकान बना हुआ है तथा जो भूमि विपक्षी संख्या 1 की पैतृक भूमि है जिसके साबिक आराजी नम्बर 927 है एवं पूर्व में भी राजस्व अधिकारियों ने सम्पूर्ण विस्तृत पर्चा मौका तैयार कर रखा है जिससे न्यायालय को बिना अवगत कराये यह निगरानी पेश की है, जो चलने योग्य नहीं है। पट्टे में किसी प्रकार का कोई रिक्त स्थान नहीं है। सम्पूर्ण रिक्तियां भरकर पट्टे का पंजीयन कराया गया है। अतः आप श्रीमान से सानुरोध निवेदन है कि निगरानी सव्यय खारिज फरमावे। विपक्षी संख्या 2 द्वारा स्वीकारात्मक जवाब पेश कर पट्टा निरस्त किया जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि उक्त पट्टे काल्पनिक एवं बिना किसी आधार के जारी होना तथा विधिक बल रहित दस्तावेज स्वयंमेव ही निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रकरण स्वीकार कर पट्टे को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए पट्टा जारी करना बताया है। अतः निगरानी निरस्त किया जाने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। रेकार्ड का गम्भीरता से अवलोकन करने के उपरान्त यह तथ्य स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा उक्त निगरानी विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ कार्यालय ग्राम पंचायत करावली का रेकार्ड तलब किया गया। ग्राम विकास अधिकारी करावली द्वारा पत्र क्रमांक ग्रापक/22-23/30 दिनांक 02.03.2023

पेश कर पट्टा संख्या 188 संबन्धित दस्तावेज/मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होना बताया है। प्रार्थी विकास अधिकारी द्वारा अपने प्रकरण के साथ जिस पट्टा संख्या 188 की प्रति प्रेषित कर रखी है उस पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं हैं। उक्त पट्टा संकल्प संख्या 1 दिनांक 12.11.2021 के अनुसरण में मिसल संख्या 86 बुक संख्या 4 पट्टा संख्या 188 पर जारी करना बताया है। उक्त कुटरचित दस्तावेज के आधार पर फर्जी तरीके से तैयार किया गया है जिसमें क्रेता, गवाहों किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। नियमानुसार उक्त पट्टा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 157 (ख) के अन्तर्गत जारी किया जाना था जो नहीं कर नियम 157 (क) के अनुसरण में फर्जी बनाया है। मूल पट्टा सम्बन्धी कोई भी पत्रावली ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है जिससे भी यह समझा जा सकता है कि उक्त पट्टे को जारी किया जाने में अनियमितता हुई है। विपक्षी संख्या 1 का तर्क है कि पट्टा पूर्ण प्रकिया अपनाते हुए बनाकर पंजिकृत कराया गया है, जबकि उक्त पट्टे से संबन्धित कोई रेकार्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। निगरानी के साथ संलग्न पट्टे की प्रति में भी किसी के भी हस्ताक्षर नहीं होकर खाली है जिसे स्वयं ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत करावली द्वारा सत्यप्रति के साथ जारी किया है जो दस्तावेज के रूप में संलग्न है। पट्टे से संबन्धित कोई भी दस्तावेज ग्राम पंचायत में नहीं होना पट्टे की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। विपक्षी सं. 2 स्वयं ने पट्टे को फर्जी होना स्वीकारा है एवं पट्टा निरस्त किया जाने पर सहमति व्यक्त की। उपरोक्त विवेचन के आधार पर पट्टा संख्या 188 जो कि फर्जी तरीके से बनाया गया है वह निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निगरानी का स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में ग्राम पंचायत करावली द्वारा जारी पट्टा संख्या 188 मिसल संख्या 86 बुक संख्या 4 दिनांक 12.11.2021 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत करावली पुनः प्रकरण में जांच उपरान्त नियमानुसार नवीन पट्टा जारी करने हेतु स्वतन्त्र है। निर्णय की एक-एक प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद उदयपुर, विकास अधिकारी प.स. सलूमबर एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत करावली को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर